

Бүтэц: 40310-4 (110)-3054-04-94 / 2019 - 59 78 / 40310, бүтэц: 3054-04-94 / 2019 - 59 78

370 5.

1921

5171.

प्रति 04-द्विमास-अन्तर-सड़क, लघु शोप 105 रुपये रकम का भुगतान, एवं शोप 1050 रुपये रकम का भुगतान एवं रकम रकमाव न्याय के 0001.27.02 सड़क अनुसूचना ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित साखी में किया गया के लिये इनके सामने मैं अंकित लम्बाई एवं शक्ति के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति जारी है।

Sl. No.	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In Km)	Cost of Initial Rectification with Surface Material (In Lakhs)	Cost of 6-years maintenance (In Lakhs)	Cost of Emergency Repairs (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Sangli	Parga	Parga Dargapur Road To Anwar	4.900	114.600	57.984	11.460	183.115
2	Sangli	Dargapur	Dargapur - Pargapur	3.000	69.000	34.500	6.900	110.519
3	Sangli	Dargapur	Sangli Pargapur - Dargapur Road	5.200	122.675	61.310	12.267	196.252
4	Sangli	Dargapur	Dargapur - Bakhya	3.900	90.500	45.250	9.050	144.800
5	Sangli	Dargapur	Dargapur - Bakhya Road	4.400	99.975	50.000	9.997	160.000
6	Sangli	Dargapur	Dargapur - Bakhya Road	6.000	143.500	71.750	14.350	230.000
7	Sangli	Dargapur	Dargapur Parga Road Via Parga - Dargapur	2.900	69.975	34.987	6.997	111.959
8	Sangli	Dargapur	Dargapur - Bakhya Road	4.000	99.975	50.000	9.997	160.000
9	Sangli	Dargapur	Dargapur - Bakhya Road	2.300	52.320	26.160	5.232	83.712
Total				36.200	846.450	423.250	84.645	1354.345

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सोनपुर योजनाओं के कार्य सम्पादन के लिए निम्नलिखित व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्य विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) जिम्मेवार होंगे।
2. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
3. इन योजनाओं के व्ययन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.08.2019 को प्राप्त है।
4. सारणी-में अंकित-उक्त-योजनाओं-की-प्रशासनिक-स्वीकृति-के-प्रस्ताव-पर-राक्षम-प्राप्ति-सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-18.10.19 को राशि संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-94/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
5. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा राक्षम प्राप्ति से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
6. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
8. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्णय प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित जाय।
9. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में वजत प्रावधान के अन्तर्गत निम्न उपलब्धता के आधार पर ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।
10. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
11. उक्त राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मदों में नहीं।
12. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर सुनिश्चित किया जायेगा।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
14. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करा जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

8

15. स्वीकृतिपत्र प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054
04-94/2019 के पृ0-19/टि0 पर दिनांक-25.10.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/10/19

(संजय दूवे)

अपर सचिव

ज्ञापक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-94/2019 5976 /पटना, दिनांक-30/10/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/19

अपर सचिव

ज्ञापक -- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-94/2019 5976 /पटना, दिनांक-30/10/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य
विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, छपरा /उप विकास आयुक्त, छपरा
/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य
विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य
अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं
आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/10/19

अपर सचिव